दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 20 सितंबर, 2024

<u>ज़मानत आ. 1256/2024</u>

रवीना कुमारी

निवासी- सुपुत्री श्री रणवीर सिंह,

निवासी- ग्राम मलिकपुर,

कराई, किराली, आगरा, उत्तर प्रदेश

..... याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री सत्यम थरेजा और सुश्री हर्षिता, अधिवक्तागण

बनाम

राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली)

अपने थानाध्यक्ष द्वारा

पु.था. बदरपुर, दिल्ली

..... प्रत्यर्थी

द्वारा: सुश्री ऋचा धवन, राज्य के लिए अति.लो.अभि.

उप.नि. सत्यनारायण,

पु.था. बदरपुर, दिल्ली

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री नीना बंसल कृष्णा

<u>निर्णय</u> *(मौखिक)*

1. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 439 के अंतर्गत यह पहली *जमानत याचिका* याचिकाकर्ता की ओर से दायर की गई है, जिसमें दिल्ली के बदरपुर पुलिस थाना में स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 (*जिसे आगे* एनडीपीएस अधिनियम, 1985 *कहा जाएगा*) की धारा 29 की सहपठित धारा 20 (ख)()(ग) के अंतर्गत दर्ज *प्राथमिकी संख्या 146/2023* में नियमित जमानत देने की मांग की गई है।

2. **संक्षेप में कहा जाए तो**, 19.04.2023 को, दोपहर करीब 02:30 बजे गुप्त सूचना के आधार पर, याचिकाकर्ता/रवीना और सह-अभियुक्त हरि राम को उस समय पकड़ा गया जब वह सह-अभियुक्त द्वारा चलाई जा रही होंडा स्कूटी पर पीछे की सीट पर यात्रा कर रही थी। याचिकाकर्ता/रवीना द्वारा ले जाए जा रहे काले रंग के बैग की तलाशी लेने पर ***23.465 किलोग्राम*** गांजा बरामद हुआ, जबकि सह-अभियुक्त/हरि राम के काले रंग के बैग से 4.0 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ।

3. जांच अधिकारी ने 24.04.2023 को याचिकाकर्ता/अभियुक्त की 4 दिन की हिरासत/रिमांड प्राप्त की। जांच पूरी होने पर, न्यायालय में आरोपपत्र दायर किया गया है।

4. शिकायतकर्ता की झूठी और मनगढ़ंत शिकायत पर पु.था. बदरपुर द्वारा 19.04.2023 को धारा 20/29 एनडीपीएस अधिनियम के तहत *प्राथमिकी संख्या 146/2023* दर्ज की गई थी। वर्तमान प्राथमिकी में जांच पूरी हो चुकी है और विचारण न्यायालय के समक्ष आरोप-पत्र भी दाखिल किया जा चुका है। हालाँकि, वह 8 साल की बच्ची की माँ होने के बावजूद 19.04.2023 से हिरासत में है और वह अपने पति के साथ भी नहीं रह पा रही है।

5. अभिवाक् दिया गया कि उसके कैरी बैग से ***23.456 किलोग्राम*** गांजा बरामद हुआ है, जिसमें पत्ते और डंठल/तने शामिल हैं जो प्रतिबंधित सामग्री की परिभाषा में नहीं आते हैं। इस प्रकार, तनों के बिना, गांजे की वास्तविक मात्रा ***केवल 3.465 किलोग्राम*** होगी, यानी 20 किलोग्राम की व्यावसायिक मात्रा से बहुत कम।

6. यहां तक कि 01.07.02023 की फोरेंसिक रिपोर्ट भी दर्शाती है कि तौले गए नमूने में जो कम मात्रा में है, उसमें पत्तियों, डंठलों/तने का वजन भी शामिल है। इसी तरह, 19/4/2023 की प्राथमिकी और जब्ती ज्ञापन से यह साबित होता है कि भांग/'कैनेबिस' की कथित फूलों की कलियों के साथ-साथ, पत्तियों और डंठलों/तने को भी जांच अधिकारी द्वारा जब्त किया गया है, ताकि याचिकाकर्ता को गलत तरीके से फंसाया जा सके और उससे व्यावसायिक मात्रा की वसूली का मामला बनाया जा सके। याचिकाकर्ता ने *इब्राहिम ख्वाजा मिया सैय्यद बनाम महाराष्ट्र राज्य 2023* एससीसी ऑनलाइन बीओएम 2873 के निर्णय पर भरोसा किया है जिसमें यह देखा गया था कि जमानत देते समय,

प्रतिबंधित सामग्री की कथित जब्त मात्रा का वजन करते समय पत्तियों और तनों के वजन को बाहर रखा जाना चाहिए।

7. याचिकाकर्ता ने कहा है कि वह कानून का पालन करने वाली नागरिक है, जिसका पिछला रिकॉर्ड साफ-सुथरा है और वह समाज में गहरी पैठ रखने वाले एक सम्मानित परिवार से संबंध रखती है। इसके अतिरिक्त, सभी गवाह पुलिस अधिकारी हैं और एक भी सरकारी गवाह नहीं है, जो कथित प्रतिबंधित सामग्री की जब्ती की प्रामाणिकता को संदेह के घेरे में डालता है। कथित केस प्रॉपर्टी यानी प्रतिबंधित सामग्री पहले ही जब्त की जा चुकी है और उसके साथ छेड़छाड़ की संभावना नहीं है। साथ ही, आवेदक द्वारा गवाहों और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है। इसके अलावा, आवेदक द्वारा जमानत पर रहते हुए वही अपराध करने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि उसका पिछला रिकॉर्ड साफ है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता को जमानत देने के लिए एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 ख () की आवश्यकताएं पूरी होती हैं।

8. इसलिए, याचिकाकर्ता ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20/29 के अंतर्गत वर्तमान प्राथमिकी संख्या 146/2023 दिनांक 19.04.2023 में नियमित जमानत मांगी है।

9. **याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता** ने प्रस्तुत तर्कों को पुष्ट करने के लिए *कुणाल दत्तू कड्डू बनाम भारत संघ 2022* एससीसी ऑनलाइन बीओएम 1770, *श्री संदीप अशोक राउत बनाम महाराष्ट्र राज्य* 2015 एससीसी ऑनलाइन बीओएम 4543, *राजेश शर्मा बनाम राजस्थान राज्य* 2024 एससीसी ऑनलाइन

राज 485, *बेट्टानायका बनाम कर्नाटक राज्य* 2020 एससीसी ऑनलाइन कर 3916, *रतनलाल खराड़ी बनाम मध्य प्रदेश राज्य* 2019 एससीसी ऑनलाइन एमपी 6083, *रत्नेश बनाम राज्य 2017* एससीसी ऑनलाइन डीईएल 9883, *सुरेश कुमार बनाम राज्य* 2016 एससीसी ऑनलाइन डेल 1209 और *लवलेश कुमार बनाम राज्य* 2015 एससीसी ऑनलाइन डीईएल 12574, *के. कविथा बनाम ईडी एसएलपी (आप.)* संख्या 10785/2024 पर भरोसा जताया है।

10. राज्य की ओर से **स्थिति रिपोर्ट** दाखिल की गई है और उसे रिकॉर्ड में लिया गया है, जिसमें अपराध की गंभीरता के आधार पर वर्तमान याचिका का विरोध किया गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि यह लगभग 28 किलोग्राम गांजा की बरामदगी का एक स्पष्ट मामला है और यह याचिकाकर्ता के साथ-साथ सह-अभियुक्त हरि राम के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 29 के अंतर्गत आता है क्योंकि वे होंडा स्कूटी पर एक साथ जा रहे थे। एफएसएल ने पुष्टि की है कि दोनों बैकपैक में प्रतिबंधित सामान गांजा था और याचिकाकर्ता और सह-अभियुक्त 20 किलोग्राम से अधिक की व्यावसायिक मात्रा में गांजा ले जा रहे थे। इस प्रकार, एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 37 का प्रतिबंध लागू होगा। इसके अतिरिक्त, अभियोजन पक्ष के गवाहों की अभी जांच होनी बाकी है और अगर याचिकाकर्ता को जमानत दी जाती है, तो याचिकाकर्ता के उसी अपराध में लिप्त होने और यहां तक कि जमानत का उल्लंघन करने की भी संभावना है।

11. इसलिए, राज्य की ओर से वर्तमान याचिका का विरोध किया गया है।

12. प्रस्तुतियाँ सुनी गईं और निर्णयों का अवलोकन किया गया।

13. अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि कथित तौर पर कुल 28 किलोग्राम गांजा (याचिकाकर्ता से 23.456 किलोग्राम और सह-अभियुक्त हरि राम से 4.015 किलोग्राम) बरामद किया गया था, जिसे सफेद रंग की प्लास्टिक की बोरियों में रखा गया था, जिन पर क और ख अंकित था और फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था।

14. यद्यपि यह विवाद का विषय नहीं है कि गांजा बरामद किया गया था, लेकिन याचिकाकर्ता ने एक विशिष्ट अभिवाक् दिया है कि **23.456** किलोग्राम गांजे की बरामद मात्रा में पत्ते और डंठल/तना शामिल है जो प्रतिबंधित सामग्री की परिभाषा में नहीं आता है और गांजे की वास्तविक मात्रा केवल **3.465** किलोग्राम होगी, जो कि 20 किलोग्राम की व्यावसायिक मात्रा से बहुत कम है।

15. इस अवसर पर, यह विश्लेषण करना उचित होगा कि क्या बरामद सामग्री गांजा की परिभाषा में आती है?

16. एनडीपीएस अधिनियम की धारा 2 ()(ख) के अंतर्गत गांजा की परिभाषा इस प्रकार दी गई है:-

> *"(ख) गांजा, अर्थात् कैनेबिस के पौधे के फूलने और फलने वाले सिरे*
> ***(इनके अन्तर्गत बीज और पत्तियां जब वे सिरे के साथ न हों, नहीं हैं)***
> *चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात या अभिहित हों;*

17. परिभाषा से यह स्पष्ट है कि कैनेबिस पौधे की फूल वाली कलियाँ और फलने वाले सिरे धारा 2 ()(ख) के अंतर्गत आएंगे, लेकिन केवल पत्ते/बीज और

डंठल "गांजा" की परिभाषा का हिस्सा नहीं होंगे, जब तक कि फूल कली और फलने वाले सिरे उनके साथ न हों।

18. इसे नीचे दिए गए वेन आरेख द्वारा सटीक रूप से दर्शाया जा सकता है: -

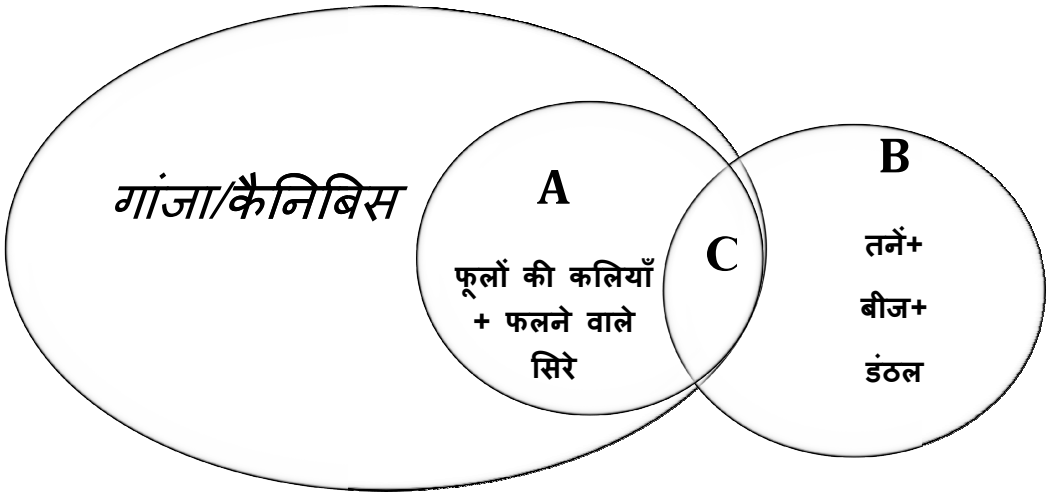

19. इस प्रकार, विधानमंडल की मंशा स्पष्ट प्रतीत होती है कि गांजा के मामले में, यदि यह केवल **श्रेणी क** है, अर्थात फूलों की कलियों और फलने वाले सिरे का एक समरूप मिश्रण है, तो यह "कैनेबिस" के अर्थ में आएगा, हालांकि, यदि यह केवल **श्रेणी ख** है, अर्थात फलों वाले सिरे और कलियों के बिना बीज/पत्तियों/डंठल का एक समरूप मिश्रण है, तो यह एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों को आकर्षित नहीं करेगा।

20. यद्यपि समरूप मिश्रणों अर्थात **श्रेणी क और ख** के संबंध में स्थिति स्पष्ट है, **श्रेणी ग** के परिमाणन को लेकर अक्सर एक पहेली बनी रहती है, अर्थात् श्रेणी क और श्रेणी ख के बीच का अतिव्यापन विषमांगी मिश्रणों का निर्माण करता है जिसमें फलने वाले सिरे और फूलने वाली कलियाँ, साथ ही तने/पत्तियाँ और बीज शामिल होते हैं।

21. संपूर्ण एनडीपीएस अधिनियम की रूपरेखा और धारा 2 ()(ख) को पढ़ने से, यह बात सामने आती है कि यदि जब्त की गई सामग्री एक विषम मिश्रण/श्रेणी ग है, जो श्रेणी क को श्रेणी ख के साथ मिलाकर बनती है, तो डंठल/पत्तियां/तना (श्रेणी ख) जैसी प्लेसबो सामग्री दवा का वास्तविक हिस्सा नहीं बनेगी और केवल मादक दवा (श्रेणी क) की वास्तविक सामग्री और वजन ही यह निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक होगा कि यह छोटी मात्रा या व्यावसायिक मात्रा होगी।

22. कुणाल दत्तू कडू (पूर्वोक्त) और श्री संदीप अशोक राठत (पूर्वोक्त) के मामलों में भी इसी प्रकार की टिप्पणियां की गई हैं और यह माना गया है कि यह पता लगाने के लिए कि क्या जब्त सामग्री गांजा थी, अंततः यह पता लगाना होगा कि क्या फूल और फल के साथ ही बीज और पत्तियां भी हैं, क्योंकि इन बीजों/पत्तियों/तने के वजन को इसमें शामिल नहीं किया जाना है।

23. स्वाभाविक रूप से, बरामद वास्तविक मात्रा (केवल श्रेणी क) की गणना करते समय बीजों/डंठलों और तनों (श्रेणी ख) के वजन को शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

24. स्वाभाविक है, वर्तमान मामला श्रेणी ग के अंतर्गत आने वाली बरामदगी का है। आरोपपत्र में दर्ज है कि जब याचिकाकर्ता/रवीना को पकड़ा गया, तो उसके पास से नीले रंग का प्लास्टिक पॉलीथीन बैग बरामद किया गया जिसमें तने के साथ घास जैसी फूलदार-पत्तीदार सामग्री थी, जो गांजा प्रतीत हो रही थी और इसे जब्ती ज्ञापन के माध्यम से जब्त कर लिया गया। बरामद गांजा को *इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन* पर तौलने पर, बरामद मात्रा का कुल वजन लगभग **24.145 किलोग्राम** निकला।

25. एफएसएल रिपोर्ट ने पुष्टि की कि भौतिक, रासायनिक, सूक्ष्म और टीएलसी परीक्षण में, 'एसए-1' और 'एसबी-1' को "गांजा" पाया गया।

26. प्रासंगिक रूप से, लगभग 24.145 किलोग्राम की बरामद मात्रा व्यावसायिक मात्रा से केवल 4.145 किलोग्राम अधिक थी। चूँकि, तने/डंठल और सूखी पत्तियों सहित सम्पूर्ण पदार्थ को फूल या फल वाले सिरे के वजन का आकलन किए बिना एक साथ तौला गया था, आवेदक से जब्त 'गांजा' की मात्रा **व्यावसायिक मात्रा** से कम हो सकती है, जिससे एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 के तहत मामला दर्ज हो सकता है। बरामद किए गए वास्तविक गांजे का वजन विचारण का विषय है।

27. यह लगातार माना जाता रहा है कि यदि जो जब्त किया गया और जो विश्लेषण किया गया और तौला गया, उसमें प्रथम दृष्टया विसंगति है और यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि याचिकाकर्ता व्यावसायिक मात्रा से संबंधित अपराधों का दोषी नहीं है। परिणामस्वरूप, नियमित जमानत प्रदान करने के लिए एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 37 की कठोरता लागू नहीं होगी, जैसा कि इब्राहिम ख्वाजा मिया सैय्यद (पूर्वोक्त) के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है।

28. *सुरेश कुमार* (पूर्वोक्त) के मामले में, इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने धारा 20 (ख) (ग) से 20 (ख) () (ख) के तहत अभियुक्त को लाभ दिया, यह देखते हुए कि प्रतिबंधित माल का वजन सटीक नहीं था और जब्त किए गए गांजे की वास्तविक मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकी क्योंकि एफएसएल ने दर्शाया कि बीज, जो गांजे की परिभाषा में नहीं आते हैं, का वजन फूल और फल के सिरे के साथ किया गया था। इस प्रकार, जब प्रतिबंधित माल की बरामदगी की वास्तविक राशि पर संदेह हो, तो इस अस्पष्टीकृत विसंगति के परिणामस्वरूप जमानत आवेदक के पक्ष में लाभ होगा।

29. *राजेश शर्मा* (पूर्वोक्त), *बेट्टानायका* (पूर्वोक्त), *रतनलाल* (पूर्वोक्त) और *रत्नेश* (पूर्वोक्त) के मामले में भी इसी प्रकार की टिप्पणियां की गई हैं।

30. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, यह तय है कि यदि वजन में विसंगति है, जैसा कि वर्तमान मामले में है, तो यह विचारण का विषय होगा।

31. यह सच है कि याचिकाकर्ता पहले किसी अन्य अपराध में शामिल नहीं रही है तथा उसका रिकॉर्ड भी साफ है। इसके अलावा, यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि याचिकाकर्ता द्वारा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने या गवाहों को प्रभावित करने की संभावना है। पृष्ठभूमि को देखते हुए यह भी नहीं कहा जा सकता कि उसके भागने का खतरा है।

32. आरोपों की प्रकृति और याचिकाकर्ता के साफ रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए, इस तथ्य के साथ कि वाद अभी भी चल रहा है, वर्तमान याचिका को अनुमति दी जाती है और याचिकाकर्ता को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 29 के साथ पठित धारा 20(ख)()(ग) के तहत पुलिस स्टेशन बदरपुर, दिल्ली में पंजीकृत प्राथमिकी संख्या 146/2023 में नियमित जमानत स्वीकार की जाती है, बशर्ते वह विद्वान विचारण न्यायालय की संतुष्टि के लिए 25,000/- रुपये की राशि का निजी बांड और इतनी ही राशि की एक प्रतिभू प्रस्तुत करे, और आगे निम्नलिखित शर्तों के अधीन: -

-

क. जब भी मामला सुनवाई के लिए उठाया जाए तो याचिकाकर्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा;

ख. याचिकाकर्ता को अपना मोबाइल नंबर और अपने पति/जमानतदार का मोबाइल नंबर भी संबंधित जांच अधिकारी को उपलब्ध कराना होगा,

इन दोनों को हर समय चालू हालत में रखना होगा और संबंधित जांच अधिकारी को पूर्व सूचना दिए बिना वे मोबाइल नंबर नहीं बदलेंगे;

घ. याचिकाकर्ता जांच अधिकारी को यह बताएगी कि वह दिल्ली में किस पते पर उपलब्ध होगी;

ङ. याचिकाकर्ता किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगी और गवाहों के साथ संवाद नहीं करेगी या उनके संपर्क में नहीं आएगी।

33. रजिस्ट्री को यह आदेश विद्वान विचारण न्यायालय तथा संबंधित जेल अधीक्षक को भी सूचित करने का निर्देश दिया जाता है।

34. तदनुसार, वर्तमान याचिका का निपटान किया जाता है।

(नीना बंसल कृष्णा)
न्यायाधीश

20 सितंबर 2024

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्द्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*